



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

रिहंद / Rihand

दिनांक - 20/06/2025

सन्दर्भ सं.: 070/मां.सं./वन भूमी/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट-सोनभद्र

विषय:- Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonbhadra district of Uttar Pradesh (Online Proposal No. FP/UP/THERMAL/36097/2018)

संदर्भ:- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अग्नि विंग इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज नई दिल्ली का पत्रांक- 8-412/1989-एफ0सी0(वालूम -III) दिनांक- 02.08.2024
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-329/11-सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-02.08.2024
3- आपके अंतिम पत्रांक- 4092/रेनुकूट/15-6 दिनांक- 02.05.2025

महोदय

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 02.08.2024 द्वारा मागी गयी बिन्दुवार वांछित संशोधित सूचना निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

S.No.	Question
(i)	The proposal for diversion of 744.00 ha forest land has been given Stage-1 by the Ministry vide letter dated 23.08.1991. Instead of submitting the compliance of Stage-1 as directed by Forest Advisory Committee in its meeting dated 16.11.2007, the State Government has submitted the new proposal for regularization of 555.759 Ha. The State Government shall submit the justification for the same.

बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में निम्न प्रकार अवगत कराना है:-

- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर-बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या- 070/पी.एण्ड.ए.एल.ए. दिनांक- 03.07.1989 (संलग्नक-1) द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60 हे) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया जिसका ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	जरहा	139.53	-

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.- रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०) पिन:231223 टेली/Tel: 05446-242021/242408

Rihand Super Thermal Power Project P.O.: Rihand Nagar, Distt.: Sonbhadra (U.P.) 231223 Fax: 05446-242115

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली- 110003

Regd. Office: NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003

7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खम्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग-	1512.708 Acr	838.745 Acr

कुल रकबा 1512.708 + 838.745 = 2351.453 एकड़ या 951.60 हे.

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनांक-23.08.1991 (संलग्नक-2) द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु **2 (दो) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया** जिसका दोनों शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

- (i) The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.
(राज्य सरकार को व्यापक प्रतिपूरक वनरोपण योजना और मानचित्र के साथ तत्काल 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की पहचान करनी चाहिए। राज्य सरकार को वन विभाग के पक्ष में 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि के हस्तांतरण के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसे संरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना के साथ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।)
- (ii) The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt. (उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रतिपूरक वनरोपण की लागत वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करनी होगी।)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 Acr	465.265 Acr

कुल रकबा 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ या 744.00 हे.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड -नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा कुल 1373.178+ 465.265 = 1838.443 एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

कैमूर के दक्षिण में निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणों एवं भूमिहीन कृषकों द्वारा खेती के उपयोग में लायी जा रही अतिक्रमित एवं वर्ग - 4 के रूप में दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में एक सोनभद्र जिले की एक स्वयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या -1061/1982 दाखिल किया गया था। उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे प्रकरण को समझते हुए दिनांक 20.11.1986 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि " एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामों पर किसानों आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी.सी. रिहंद को आवश्यक धारा-4 की वन भूमि का कब्जा दे दिया जाय जिसके एवज में एनटीपीसी किसानों को उचित मुआवजे का भुगतान करेगी जो भूमि अधिग्रहण के नियमों के तहत होगा। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

"The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession. Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipeline and 1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamhariya, Mitihini, Parbatwa, Jheelotola, Dodhar and Jarha. Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on "facilities to be given to land oustees" as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose, The same be taken as an undertaking to the court."

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानों आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 (संलग्नक-4) के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी। उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी वन भूमि में किसानों आदि के कब्जे की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	भा.व.अ.1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि एकड़ में	सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धारा-4 की भूमि क्षेत्रफल एकड़ में	सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की तिथि
1	बीजपुर	634.23	541.430	18.06.89
2	डोडहर	157.69	141.621	24.01.89
3	सिरसोती	32.598	31.108	17.02.89
4	खैरी	74.41	41.844	12.03.88
5	मिटिहिनी	69.59	62.649	06.02.88
6	नकटु अधौरा	33.91	16.970	29.08.89
	योग	405.668 हे. या 1002.406 एकड़	338.164 हे. या 835.622 एकड़	

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 14.12.1988 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

---- Mr Pandey, one of the Commissioners, is directed to visit the locality where the lands required for NTPC are located and to take immediate steps to ensure that the acquired land is released in favour of the Corporation within two weeks from today. Care should be taken to ensure that the interests of the residents within the area are not affected. Once this process is done, NTPC would be free to proceed with its work and there would be no prohibition against the NTPC in regard to the acquired lands.

प्लान्ट की स्थापना के दौरान तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति भी की गयी किन्तु श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए अपने पत्र दिनांक- 16.09.1989 (संलग्नक-5) द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त को पत्र प्रेषित करते हुए तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी को भी यह अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य पर आपत्ति करना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-20.11.1986 एवं 08.02.1989 का उल्लंघन होगा। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के पत्र दिनांक- 16.09.1989 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

“----- In this connection I would like to mention that verification and transfer of occupancies has already taken place in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 20-11-1986. Hence it would be a clear violation of the order of Hon'ble Supreme Court dated 8.2.1989 if any obstruction is caused by the Forest Department in the construction work of the NTPC Project. I would therefore suggest that necessary directions be issued to the D.F.O to refrain from obstructing projected works, otherwise serious legal consequences may follow-”

उक्त कब्जा की जानकारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली को होने पर उन्होंने अपने पत्र संख्या- 8-412/89-एफ.सी. दिनांक- 27.09.1989 (संलग्नक-6) द्वारा सचिव वन उ.प्र. सरकार से सूचना मागी गयी। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में विशेष कार्याधिकारी उ.प्र. शासन ने अपने

पत्र संख्या-2398/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक- 24.10.1989 (संलग्नक-7) द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराया गया कि एन.टी.पी.सी. रिहन्दनगर -बीजपुर जिला-सोनभद्र को वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में हस्तगत करायी गयी है।

उक्त याचिका की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक- 08.02.89 की गयी और यह आदेशित किया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान केवल एन.टी.पी.सी.रिहन्दनगर-बीजपुर जिला-सोनभद्र द्वारा वांछित धारा-20 की भूमि पर तथा अकृषिक भूमि पर ही आकर्षित होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1989 (संलग्नक-8) का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

-----At it appears the requirement of the NTPC has now increased to 2495 acres. Out of these land 1322 acres are said to be under occupancy, 185 acres constitute Goan Sabha Lands and 987 acres are said to be forest lands. 791 acres of these lands seem to have been notified as reserved forest under section 20 of the Indian Forest Act. 1927, they are outside the purview of the writ petition as already directed by this Court. Release of such lands can only be done by satisfying the requirement of the Forest (Conservation) Act, 1980 and our order has, therefore, nothing to do with these 791 acres of land. 195 acres are said to be covered by a Notification under section 4 of the Forest Act. The balance of 942 acres seem to have been notified under section 4 of the Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 08.02.1989 की छाया प्रति असिसेन्ट रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पत्र सं. डी.ओ. 1061/82/एस.ई.सी.-ग्ट नई दिल्ली दिनांक- 13.02.1989 (संलग्नक-9) द्वारा ज्यूडिसियल 'ए' सचिव उ.प्र. शासन लखनऊ व श्री आर.पी.पाण्डेय कमिश्नर 32/2 स्टेनली रोड इलाहाबाद को प्रेषित की गयी। उक्त के क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या- 1496/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक-17.03.1989 (संलग्नक-10) द्वारा वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त एवं नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि अन्य के साथ ही साथ प्रभाग को भी पृष्ठांकित की गयी।

2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वनवासी सेवा आश्रम द्वारा दाखिल याचिका संख्या- 1061/1982 में पारित मुख्य आदेश दिनांक- 20.11.1986 के अनुपालन में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित हुयी थी। इस कार्यवाही के दौरान उक्त 744 हे. वन भूमि में सम्मिलित धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि 555.759 हे० में से 463.492 हे. धारा-4 की वन भूमि ग्रामीणो आदि के पक्ष में ए.डी.जे. न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये गये। इस प्रकार निर्णय के पश्चात एन.टी.पी.सी. के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रकार वन भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल शेष रह गयी।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	92.800	-
2	नकटू अधौरा	12.250	-
3	डोडहर	15.099	-

4	सिरसोती	1.490	-
5	खैरी	32.566	-
6	मिटिहिनी	5.740	68.560
7	खम्हरिया	22.58	32.125
8	झीलो	50.089	364.58
	योग-	233.414	465.265

कुल रकबा 233.414+ 465.265 = 698.679 एकड़ या 280.508 हे.

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 975/11 सी-10(120) दिनांक- 08.02.1996 (संलग्नक-11) द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- 1026/11 सी-10(120) दिनांक-15.02.1996 (संलग्नक-12) द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-110003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नहीं हुये।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1996/15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु. 4969500.00 का चेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी। समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रों द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मांग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक- 10.04.1997 (संलग्नक-13) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, "भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगूने अवनत वन भूमि पर होना है"।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगूने अवनत वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व में जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रु. 32738115.00 की मांग की गयी। प्रभाग द्वारा एनटीपीसी को प्रेषित मांग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने बैंक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रु. 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रु.



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

रिहंद / Rihand

258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रु. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c No CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है।

3. प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ0ए0सी0 की बैठक आयोजित की गयी। एफ0ए0सी0 की बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 (संलग्नक-14) जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को बैठक सम्पन्न की गयी जिसके कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 (संलग्नक-15) जारी किया गया। उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक-23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा.निर्देशों के अनुसार आनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा.निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(2) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिह्नित वन भूमि का Land Use define करेंगे।

(3) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

(4) एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

(5) संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा.निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मांग की जायेगी, जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

(6) एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

- (7) एनटीपीसी के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।
- (8) भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एनटीपीसी को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डम्प करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन **National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur** से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफओसी की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफओसी(पीटी) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 744.00 हे० वन भूमि में सम्मिलित 188.241 हे० धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एनटीपीसी द्वारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा अवशेष (744-188.241) 555.759 हे० धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एनटीपीसी द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेष पोर्टल पर आन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

S.No.	Question
(ii)	State Government shall submit the justification for completion of work before the Stage-II approval along with reasons for non-submission of compliance of Stage-I approval prior to completion of work.

बिन्दु संख्या -2 के अनुपालन में अवगत करना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्प्लेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एनटीपीसी द्वारा कुल $1373.178 + 465.265 = 1838.443$ एकड़ (744.00हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

कैमूर के दक्षिण में निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणों एवं भूमिहीन कृषकों द्वारा खेती के उपयोग में लायी जा रही अतिक्रमित एवं वर्ग - 4 के रूप में दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में एक सोनभद्र जिले की एक स्वयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या -1061/1982 दाखिल किया गया था। उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे प्रकरण को समझते हुए दिनांक 20.11.1986 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि " एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामों पर किसानों आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक

कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी.सी. रिहन्द को आवश्यक धारा-4 की वन भूमि का कब्जा दे दिया जाय जिसके एवज में एनटीपीसी किसानों को उचित मुआवजे का भुगतान करेगी जो भूमि अधिग्रहण के नियमों के तहत होगा। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

“The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession. Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipeline and 1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamhariya, Mitihini, Parbatwa, Jheelotola, Dodhar and Jarha. Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on “facilities to be given to land oustees” as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose, The same be taken as an undertaking to the court.”

उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानों आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 (**संलग्नक-4**) के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी।

एफएसी ने 16.05.2016 को आयोजित अपनी बैठक में श्री वी.के. सिंह, एपीपीसीएफ लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य श्री चिंता मणि पांडे, अतिरिक्त कृषि आयुक्त (एफएसी सदस्य), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के वैज्ञानिक, कानूनी विशेषज्ञ, राज्य सरकार से नामित (नोडल अधिकारी) और श्री संदीप शर्मा एआईजी (एफसी) हैं, जो इस संबंध में विभिन्न अदालती आदेशों और चरण-1 मंजूरी के अनुपालन की स्थिति के आलोक में एनटीपीसी के कब्जे में भूमि विशेष रूप से भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 4 अधिसूचना वाली भूमि की वैधता की जांच करेंगे। समिति साइट का दौरा करेगी और एनटीपीसी के कब्जे में वन भूमि की कानूनी स्थिति की जांच करेगी, जिसके लिए चरण-1 की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, उन क्षेत्रों की पहचान करेगी, यदि कोई हो, जो वन भूमि हैं लेकिन एनटीपीसी द्वारा कोई वन मंजूरी नहीं ली गई है।

समिति ने निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 16.11.2017 को आयोजित एफएसी बैठक में रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने 9 और 10 जुलाई 2017 को साइट का दौरा किया और राजस्व, वन और एनटीपीसी के स्थानीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.1986, 14.12.1988, 08.02.1989, श्री राम प्रकाश पांडेय, आयुक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त, वन संरक्षक, वाराणसी को लिखे गए दिनांक 16.09.1989 के पत्र, रिट याचिका (सिविल) 202/1995 टीएन गोदावर्मन बनाम भारत सरकार में आईए 3026-3027 में आईए संख्या 3722 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8 सितंबर 2016 और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश, ओए संख्या 494/2015, एमए संख्या 1166/2015, एमए संख्या 1169/2015, एमए संख्या 1164, ए, बी, सी और डी, 2015 के आदेश, 4 मई 2016 आदि। समिति ने नोडल अधिकारी एफसीए, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई दुद्धी वन क्षेत्र की कार्य योजना की भी जांच की।

समिति ने भूमि राजस्व विभाग, वन विभाग और एनटीपीसी के साइट अधिकारियों के साथ बैठक की। फील्ड विजिट के दौरान भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 4 वन भूमि के रूप में अधिसूचित भूमि की स्थिति का पता लगाना जरूरी हो गया, जिसे बाद में निजी व्यक्ति के पक्ष में निपटाया गया था, उस तारीख को जब इसे धारा 4 वन भूमि के रूप में घोषित/अधिसूचित किया गया था। बैठक के दौरान फील्ड स्तर के पदाधिकारियों ने पुरानी कार्य योजना (कार्य अवधि 1949-50 से 1963-64) की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें धारा 4 अधिसूचित वन भूमि दुधी एस्टेट का हिस्सा है, जिसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है।

कार्य की जटिलता और व्यापक प्रकृति को देखते हुए, पुराने अभिलेखों की जांच करने और घोषणा की तिथि पर धारा 4 अधिसूचित वनभूमि की कानूनी स्थिति का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय टीम बनाने का निर्णय लिया गया। यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र संख्या 8ए/09/यूपी/1149/2012/एफसी/45 दिनांक 13 जुलाई 2017 के माध्यम से अवगत करा दी गई।

एफएसी ने अनेकों अनुशंसाएँ की थी जिसमें से एक प्रमुख है बिन्दु-6 (ii), जिसका अंश निम्नप्रकार है :-

“एनटीपीसी ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचना के अधीन भूमि पर कब्जा कर लिया था। न्यायालय के आदेशों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण वन भूमि की स्थिति पर लंबे समय तक भ्रम की स्थिति बनी रही। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 4 के तहत अधिसूचित वन भूमि पर चरण-I अनुमोदन के बाद और चरण II अनुमोदन के बिना वन भूमि पर काम करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।”

S.No.	Question
(iii)	Action taken by State Government against violation shall be intimated.

बिन्दु संख्या -3 के अनुपालन में अवगत करना है कि भूमि के अधिग्रहण एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। समस्त कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में संपादित किया गया है।

S.No.	Question
(iv)	Status of compliance of conditions of stage-I approval dated 23.08.1991 shall be provided along with details whether payment of Compensatory levies has been made by User Agency or not.

बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक- 10.04.1997 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, “भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगुने अवतन वन भूमि पर होना है”।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व में जमा किये गये धनराशि ₹0 49,69,500/- की धनराशि

के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू. 32738115.00 की माँग की गयी। प्रभाग द्वारा एन०टी०पी०सी० को प्रेषित माँग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने बैंक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02. 2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू० रू० 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ. प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से 744 हे० वन भूमि के स्थान पर 555.759 हे० वन भूमि के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण से जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी।

S.No.	Question
(v)	Justification for delay submission of compliance report till the matter was considered by FAC in 2017 add reasons for delay in compliance between 2017 to 2024, shall be submitted

बिन्दु संख्या- 5 के अनुपालन में वर्ष 2017 से 2024 तक हुए विलम्ब के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:-

1- दिनांक- 16.11.20217 में एफ़एसी के निर्णय एवं भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-412/1989 एफ़०सी० (पी०टी०) दिनांक 14.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिहन्द बीजपुर, जिला सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक 14.12.2017 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें एन.टी.पी.सी. के स्तर से 08 बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। 08 बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख तैयार करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.11.2018 को ऑनलाइन प्रस्ताव अपलोड किया गया।
2- दिनांक 14.11.2018 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या- 997/ 11-सी-FP/UP/Ther/36097/2018, लखनऊ दिनांक 13.11.2018 द्वारा ईडीएस भेजा गया जिसके अनुपालन में दिनांक 03.03.2020 को उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड किया गया।
3- दिनांक 13.03.2020 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP/Ther/36097/2018-EDS raised on 12.03.2020) 20 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 12.03.2021 को उल्लिखित 20 बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
4- दिनांक 26.03.2021 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP/Ther/36097/2018-EDS raised on 26.03.2021) 07 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 04.01.2022 को उल्लिखित 07 बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।

- 5-** दिनांक 18.02.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP/Ther/36097/2018-EDS raised on 18.02.2022 भेजा गया जिसमें विषयांकित प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आहूत एफ़एसी की बैठक दिनांक 16.11.2017 की कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 8/142/1989-एफ.सी.पीसी., दिनांक 06.12.2017 द्वारा दिए गये निर्देश एवं इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित पक्षों के साथ दिनांक 06.12.2017 को हुई बैठक, जिसका कार्यवृत्त के पत्रांक 1607/11-सी-बैठक, दिनांक 14.12.2017 द्वारा पूर्व में जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त में दिए गए निर्देशानुसार कृत कार्यवाही की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित चाही गयी। उक्त कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित दिनांक 05.04.2022 को अपलोड किया गया।
- 6-** दिनांक 27.04.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3052/11-सी, लखनऊ दिनांक 27.04.2022 भेजा गया जिसमें अब तक कृत कार्यवाही का विवरण सुसंगत अभिलेखों सहित प्रेशित करने का आदेश किया गया। उक्त के क्रम में समस्त सुसंगत अभिलेखों को बिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण दिनांक- 19.05.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
- 7-** दिनांक 01.10.2022 को प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज की हार्ड कॉपी 06 प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किया गया। जिसे समस्त अभिलेखों सहित दिनांक 12.10.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया, तत्पश्चात् भाग-2 की कार्यवाही पूर्ण करते हुए रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा दिनांक 17.11.2022 को समस्त अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 8-** उक्त प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, द्वारा पुनः दिनांक 30.12.2022 द्वारा 16 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी जिसका निराकरण कराते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 28.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।
- 9-** दिनांक 06.04.2023 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3179/11-सी, लखनऊ दिनांक 03.04.2023 जारी किया गया। जिसका निराकरण करते हुए दिनांक- 23.06.2023 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 10-** कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर के पत्रांक 649/मी0क्षे0/33/मिर्जापुर, दिनांक 16.08.2023 द्वारा दिनांक 23.08.2023 को ईडीएस भेजकर जानकारी चाही गयी। उक्त प्रकरण का निराकरण कराते हुए दिनांक 12.09.2023 को पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 11-** उक्त के क्रम में कार्यवाही करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रभाग स्तर से वांछित उत्तर संलग्न कराते हुए प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

S.No.	Question
(vi)	State Government shall submit the detailed chronology including the date of submission of proposal, date when execution of work is started and date when work was completed.

बिन्दु संख्या- (vi) के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर - बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या- 070/पी.एण्ड.ए.एल.ए. दिनांक- 03. 07.1989 द्वारा

2351.453 एकड़ (951.60 हे) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ. सी. दिनांक 23.08.1991 द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि

हस्तान्तरण करने हेतु 2 (दो) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

कैमूर के दक्षिण में निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणों एवं भूमिहीन कृषकों द्वारा खेती के उपयोग में लाई जा रही अतिक्रमित एवं वर्ग-4 के रूप में दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किये जाने आदि के संबंध में एक स्वयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा आश्रम द्वारा (एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या - 1061 / 1982 दाखिल किया गया। उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया। उक्त पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.11.86 को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामों पर किसानों आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिशनर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी. सी. रिहंद को आवश्यक धारा-4 की वन भूमि का कब्जा दे दिया जाय। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानों आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी. द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी।

S.No.	Question
(vii)	State Government shall submit the detailed chronology including date when notification under Section-4 was issued, completion of settlement proceeding and date of final notification under Section- 20 along with legal status and ownership details of the area proposed for diversion.

बिन्दु संख्या- (vii) के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन०टी०पी०सी० से आच्छादित निम्नलिखित ग्रामों में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार वन बन्दोबस्त की कार्यवाही सम्पादित किया गया है। सम्पादित किये गये ग्रामों में एन०टी०पी०सी० के प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि का क्षेत्रफल एवं उसके गजट नोटिफिकेशन का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-4 की विज्ञप्ति संख्या व दिनांक
1	बीजपुर	634.23	23(2)-66/14-ख-67 दिनांक- 05.01.1968 व 6787 / 14-ख-4 (87) - 69 दिनांक- 08.01.1970
2	नकटू अधौरा	33.910	6787 / 14-ख-4 (87) 69 दिनांक- 08.01.1970
3	डोडहर	157.690	2375 / 14-ख दिनांक- 21.06.1960

4	सिरसोती	32.598	23(2)-66/14-ख-67 दिनांक- 05.01.1968
5	खैरी	74.410	23(2)-37/14-ख-67 दिनांक- 24.07.1967 व 2849/14-ख-4 (51) दिनांक - 16.09.1969
6	मिटिहिनी	69.59	6787 / 14-ख-4 (87) 69 दिनांक 08.01.1970
7	खमहरिया	116.50	6787 / 14-ख-4 (87) 69 दिनांक- 08.01.1970
8	झीलो	254.25	6787/14-ख-4 (87) 69 दिनांक- 08.01.1970
	योग-	1373.178 Acr	

उपरोक्त ग्रामो मे वन बन्दोबस्त की कार्यवाही के उपरान्त धारा -20 के प्रस्ताव वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा अन्तिम रूप से प्रस्तुत न किये जाने के कारण धारा-20 के गजट नोटिफिकेशन जारी होने की कार्यवाही नहीं हो पाया है । प्रश्नगत वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एन०टी०पी०सी० के कब्जे मे है ।

S.No.	Question
(viii)	State shall inform the date when land was allotted to NTPC/User Agency for execution of work by the State along with the conditions of allotment.

बिन्दु संख्या- (viii) के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि एन०टी०पी०सी० को हस्तान्तरित किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनांक- 23.08.1991 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.1988 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी. द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी ।

S.No.	Question
(ix)	State shall submit the legal status of the land in case of which forest diversion proposal of 146.31 ha of forest land for construction of ash dyke was submitted. It shall also be informed whether proposal for regularisation of 555.79 ha also includes the said 146.31 ha of forest land or not? The State shall also inform whether any work in violation has been carried out in case of said Ash Dyke or otherwise along with the timeline for the same.

बिन्दु संख्या -(ix) के अनुपालन मे अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना मे प्रभावित 555.79 हे. वन भूमि मे 146.31 हे. वन भूमि सम्मिलित नहीं है । 146.31 हे. प्रस्तावित वन भूमि मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

S.No.	Question
(x)	Initially, Ministry vide its letter No.8-412/89-FC dated 23.08.1991 has accorded in-principle/ Stage-1 approval of 744.00 ha forest land. Now, the proposal is submitted for regularization of 555.79 ha. In this regard, State Government shall submit the area change matrix giving comparative analysis of different components As Stage-1 approval dated 23.08.1991 and that of fresh diversion proposal of 555.79 ha which has been submitted now.

बिन्दु संख्या - (x) के अनुपालन में निम्न प्रकार अवगत कराना है :-

प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ0ए0सी0 की बैठक आयोजित की गयी। एफ0ए0सी0 की बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412 / 1989- एफ0सी0 (पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर - बीजपुर, जिला - सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को बैठक सम्पन्न की गयी जिसके कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक- 1607 / 11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 जारी किया गया। उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक - 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे० वन भूमि में से एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के०एम०एल० फाईल की सी०डी० एवं एस०ओ०आई० टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- (2) एन०टी०पी०सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगे।
- (3) एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।
- (4) एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
- (5) संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार

मॉग की जायेगी, जिसमें एन०टी०पी०सी० द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

(6) एन०टी०पी०सी० द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

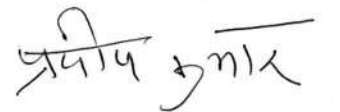
(7) एन०टी०पी०सी० के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।

(8) भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन०टी०पी०सी० को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एश ड्राईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन **National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur** से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ०ए०सी० की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफ०सी० (पी०टी०) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला- सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक- 1607 / 11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 744.00 हे० वन भूमि में सम्मिलित 188.241 हे० धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा एश ड्राईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा अवशेष (744-188.241) 555.759 हे० धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में भारत सरकार के सतर पर विचाराधीन है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



उप महाप्रबन्धक (मा०सं०)
एन०टी०पी०सी० रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
रिहन्दनगर - बीजपुर
जिला - सोनभद्र

प्रदीप कुमार
PRADEEP KUMAR
उप महाप्रबन्धक (विधि)
Dy. General Manager (Law)
एनटीपीसी रिहन्दनगर/NTPC Rihandnagar
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223